



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-24.02.2025

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध कच्ची शराब बरामद:-

दिनांक 23.02.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 05 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. बब्लू उर्फ मगनपाल पुत्र साधुराम निवासी ग्राम कण्डेला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 05 लीटर कच्ची शराब।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध कच्ची शराब बरामद:-

आज दिनांक 24.02.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 05 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.गौरव पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम अलीपुर खुर्द थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 05 लीटर कच्ची शराब।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते गैंगस्टर के मामले में अभियुक्त को मा0 न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई गई 03 वर्ष 10 माह के कारावास की सजा एवं 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया ।

वर्ष 2021 में अभियुक्त जीशान उर्फ प्रभू पुत्र युसुफ निवासी मौहल्ला इस्लाम नगर थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 221/221 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था । इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे । जिसके क्रम में आज दिनांक 24.02.2025 को माननीय न्यायालय ADJ/FTC कैराना, शामली द्वारा गैंगस्टर के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 03 वर्ष 10 माह का कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है ।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.जीशान उर्फ प्रभू पुत्र युसुफ निवासी मौहल्ला इस्लाम नगर थाना कैराना जनपद शामली ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI